अनुदान संख्या 35 - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 35 -TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged–*			*58357,46,00*	*45253,42,01*	*-13104,03,99*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*13104,03,99*
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	105573,00,00		105786,55,00	84310,12,67	- 21476,42,33
पूरक	Supplementary	213,55,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					19666,71,18
पूंजीगत:	**Capital :**					
प्रभारित–	*Charged–*			*12000,00,00*	*10652,70,00*	*-1347,30,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*1347,30,00*

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः-

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*5835746.00*	*4525342.01*	*4525342.01*	..
पु.	*R.*	*-1310403.99*			

(I) "योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन अनुदान" - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "स्थानीय निकायों को अनुदान" - *₹438792.14 लाख* की बचत (*₹1865460.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(खा) "सड़कों और पुलों के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान" - *₹106717.00 लाख* की बचत (*₹473100.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(गा) "राज्य विशिष्ट जरूरतों के लिए सहायता अनुदान - पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान" - *₹408949.41 लाख* की बचत (*₹672375.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(घा) "पर्यावरण के लिए सहायता अनुदान" - *₹140073.74 लाख* की बचत (*₹250000.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(ङ) "अभिशासन के लिए सहायता अनुदान" - *₹189271.70 लाख* की बचत (*₹352882.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(चा) "प्रारंभिक शिक्षा अनुदान के लिए सहायता अनुदान" - *₹26600.00 लाख* की बचत (*₹488100.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

बचतें उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तें पूरी न किए जाने के कारण हुईं।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹2147642.33 लाख) मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹21355.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थीं।

(I) Under "Non-Plan Grants-Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Local Bodies" - saving of ₹*438792.14 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*1865460.00 lakhs*);

(B) "Grants-in-aid for Maintenance of Roads and Bridges" - saving of ₹*106717.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*473100.00 lakhs*);

(C) "Grants-in-aid for States Specific Needs – Grants-in-aid for Creation of Capital Assets" - saving of ₹*408949.41 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*672375.00 lakhs*);

(D) "Grants-in-aid for Environment" - saving of ₹*140073.74 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*250000.00 lakhs*);

(E) "Grants-in-aid for Governance" - saving of ₹*189271.70 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*352882.00 lakhs*); and

(F) "Grants-in-aid for Elementary Education Grant" - saving of ₹*26600.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*488100.00 lakhs*).

Savings under the above six heads were due to non-fulfillment of the prescribed terms and conditions by some State Governments.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹2147642.33 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹21355.00 lakhs obtained in March, 2013 and constituted 20 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2075" विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services				
मू.	O.	10000.00			
पू.	S.	21355.00	22082.75	22082.74	-0.01
पु.	R.	- 9272.25			
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	Major Head "2245" Relief on Accounts of Natural Calamities				
मू.	O.	924000.00			
			743028.88	562057.74	-180971.14
पु.	R.	-180971.12			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	9590800.00			
			7814372.19	7814372.19	..
पु.	R.	-1776427.81			

(I) ₹9004.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹8904.00 लाख का पूरक प्रावधान मुख्य शीर्ष "2075" - "अशोध्य कर्ज बट्टे खाते डालना - राज्य सरकारों के कर्ज बट्टे खाते डालना " के अंतर्गत कुछ राज्य सरकारों द्वारा ऋण छूट दिए जाने के लिए निर्धारित निबंधन एवं शर्तें पूरी न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किया गया।

(I) Provision of ₹9004.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these supplementary provision of ₹8904.00 lakhs accounted for under Major Head "2075" – "Irrecoverable Loans written off - Loans to State Governments written off" – due to non- fulfillment of the prescribed terms and conditions for award of Debt Waiver from some State Governments.

(II) मुख्य शीर्ष "2075" - "तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों के कर्जों को बट्टे खाते डालना - राज्य सरकारों को केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों और केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए ऋण राहत" के अंतर्गत ₹10000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹12451.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹22451.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो कुछ राज्य सरकारों से ऋण छूट दिए जाने के लिए निर्धारित निबंधन एवं शर्तें पूरी न किए जाने के कारण ₹368.26 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2075" –"Loans to State Governments written off in terms of recommendations of Thirteenth Finance Commission -Debt Relief to State Governments for Centrally Sponsored Schemes and Central Plan Schemes"- the original provision of ₹10000.00 lakhs was augmented to ₹22451.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹12451.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹368.26 lakhs – due to non-fulfillment of the prescribed terms and conditions for award of Debt Waiver from some State Governments.

(III) मुख्य शीर्ष "2245" – "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2245" - "General"- savings occurred under the following heads:-

(का) "राज्य को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता - गंभीर स्वरूप की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्य को सहायता" - ₹180971.13 लाख की बचत (₹462000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपदाएं कम होने के कारण हुई।

(A) "Assistance to State from National Calamity Contingency Fund - Assistance to State from NDRF for calamities of severe nature" - saving of ₹180971.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹462000.00 lakhs) was due to occurrence of less calamities.

(खा) "आरक्षित निधियों और जमा लेखा को अंतरण - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को अंतरण" - ₹180971.13 लाख की बचत (₹462000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आरक्षित निधियों और वास्तविक प्रोद्भूत राशि के आधार पर जमा लेखे को कम राशि का अंतरण किए जाने के कारण हुई।

(B) "Transfer to the Reserve Funds and Deposit Account - Transfer to National Disaster Response Fund"- saving of ₹180971.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹462000.00 lakhs) was due to transfer of less amount to the Reserve Funds and Deposit Account based on actual accrued amount.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes" - savings occurred under the following heads :-

(का) "एकमुश्त अनुदान" -

(A) "Block Grants" -

(क) "सामान्य केंद्रीय सहायता" - ₹152627.20 लाख की बचत (₹2558900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षित और अनुमानित व्यय विवरण प्रस्तुत न किए जाने और पिछले वित्तीय वर्षों के अग्रिम

(a) "Normal Central Assistance"- saving of ₹152627.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2558900.00 lakhs) was due to non-submission of prescribed audited and anticipated expenditure statements by some

एसपीए का समायोजन न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "विशेष केंद्रीय सहायता - पर्वतीय क्षेत्र" - ₹2497.78 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "विशेष योजना सहायता" - ₹48170.35 लाख की बचत (₹600500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि" - ₹165199.60 लाख की बचत (₹699000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत योजना आयोग से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(ङ) "अन्नापूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" - ₹55714.97 लाख की बचत (₹838200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाइन मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(च) "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम" - ₹773841.78 लाख की बचत (₹1424200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(छ) "राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्य योजना" - ₹10046.11 लाख की बचत (₹19000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ज) "जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन" - ₹723423.07 लाख की बचत (₹1252200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य

State Governments and adjustments of advance SPA of preceding financial years.

(b) "Special Central Assistance - Hill Areas"- saving of ₹2497.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs);

(c) "Special Plan Assistance"- saving of ₹48170.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600500.00 lakhs); and

(d) "Backward Regions Grant Fund (BRGF)"- saving of ₹165199.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹699000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from the Planning Commission.

(e) "National Social Assistance Programme including Annapurna"- saving of ₹55714.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹838200.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the line Ministry.

(f) "Accelerated Irrigation Benefit Programme and other Water Resources Programme"- saving of ₹773841.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1424200.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Ministry of Water Resources.

(g) "National E-Governance Action Plan (NEGAP)"- saving of ₹10046.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Ministry of Information Technology.

(h) "Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission"- saving of ₹723423.07 lakhs (against the sanctioned provision of

सरकारों द्वारा मिलान शेयर जारी न किए जाने, परियोजनाएं वापस लिए जाने और स्कीमें शुरू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "आरक्षित निधि को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि" - ₹147300.00 लाख की बचत (₹736500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिवेश से कम आय होने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - ₹76080.62 लाख का अधिक व्यय (₹250000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ऋण दाता एजेंसियों की संवितरण सूची के आधार पर अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - ₹88512.43 लाख का अधिक व्यय (₹126100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले से संबंधित परियोजनाओं और तमिलनाडू में तिरुपुर सीईटी संयंत्र के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) "विशेष केंद्रीय सहायता"- ₹137900.00 लाख का अधिक व्यय (₹957100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग की सिफारिश के आधार पर विशेष केंद्रीय सहायता के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

₹1252200.00 lakhs) was due to non- release of matching shares by the State Governments, withdrawal of projects and delay in commencement of schemes.

(B) "Transfer to Reserve Fund - National Investment Fund"- saving of ₹147300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹736500.00 lakhs) was due to less proceeds from Disinvestment.

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601" – "Grants for State Plan Schemes – Block Grants" – under the following heads :-

(A) "Additional Central Assistance for externally aided projects" - excess of ₹76080.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds based on disbursement schedule of donor agencies.

(B) "Additional Central Assistance for other projects" - excess of ₹88512.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹126100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards projects relating to Kumbha Mela in U.P. and Tirupur CETs Plant in Tamil Nadu.

(C) "Special Central Assistance" - excess of ₹137900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹957100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Special Central Assistance based on the recommendation of the Planning Commission.

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

				कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "7601" *राज्य सरकारों को कर्ज और अग्रिम*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments*					
मू.	*O.*	*1200000.00*		*1065270.00*	*1065270.00*	..
पू.	*R.*	*-134730.00*				

(I) *₹100000.00 लाख* का *विनियोग* "अर्थोपाय अग्रिम - अन्य अर्थोपाय अग्रिम" के अंतर्गत एक मामले में राज्य सरकारों से मांग प्राप्त न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of ₹*100000.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under "Ways and Means Advances – Other Ways and Means Advances" – due to non-receipt of demand from the State Governments.

(II) "राज्य योजना स्कीमों के लिए कर्ज - एकमुश्त कर्ज - बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत *₹34730.00 लाख* की बचत (*₹1100000.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under "Loans for State Plan Schemes – Block Loans - Additional Central Assistance for externally aided projects" - saving of *₹34730.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹1100000.00 lakhs*) was due receipt of less proposals from Controller of Aid Accounts and Audit.